बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संकल्प

पटना–15, दिनांक–....................

विषय – मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री के निजी कार्मिकों को यात्रा भत्ता मद में अनुमान्य वार्षिक अधिसीमा रू० 30,000/– (तीस हजार) से बढ़ाकर रू० 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) करने के सम्बन्ध में।

वर्ष 1993–94 में मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री के निजी कार्मिकों को यात्रा भत्ता मद में अनुमान्य वार्षिक अधिसीमा रू० 30,000/– (तीस हजार रूपया) निर्धारित की गई थी। वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में उक्त अधिसीमा काफी कम होने के कारण इस अधिसीमा को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

2. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त बिहार सरकार के मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री के निजी कार्मिकों को यात्रा भत्ता मद में अनुमान्य वार्षिक अधिसीमा को रू० 30,000/– (तीस हजार) से बढ़ाकर रू० 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) करने का निर्णय लिया है।

3. यह वित्तीय वर्ष 2012–13 के प्रभाव से लागू होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राज्य के असाधारण गजट के अगले अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(बिनोद प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

ज्ञापांक– मं०मं०(लेखा)मंत्रिपरिषद्–19/2006..........................., पटना–15, दिनांक–...........................

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना के गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

2. इसकी 300 (तीन सौ) प्रतियां मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ह0/–
(बिनोद प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

ज्ञापांक– मं०मं०(लेखा)मंत्रिपरिषद्–19/2006..........................., पटना–15, दिनांक–...........................

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, विकास भवन, विश्वेश्वरैय्या भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(बिनोद प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

ज्ञापांक– मं०मं०(लेखा)मंत्रिपरिषद्–19/2006 236, पटना–15, दिनांक– 30/3/2012

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य मंत्री के सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सभी मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/12
(बिनोद प्रसाद सिंह)
अपर सचिव